संख्याः 191 / 1–11–2017–2(जी) / 2017

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में

समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारीगण,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–11 लखनऊः दिनांक 27 अप्रैल, 2017

विषयः प्रदेश में लू प्रकोप (Heat Wave) पर निर्गत Action Plan के अनुसार जनपद स्तर पर कार्ययोजना तैयार कर उसके कियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–215 / 1–11–2017– 2(जी) / 2017, दिनॉक 18.04.2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. शासन के उपर्युक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा लू प्रकोप (Heat Wave) पर अप्रैल, 2016 को निर्गत गाइड में दिये गये दिशा–निर्देशानुसार प्रदेश सरकार द्वारा हीट वेव पर कार्य योजना (Action Plan: prevention and Management of Heat Wave in Uttar Pradesh) 2017 तैयार कर निर्गत करते हुए प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत उक्त Action Plan के आधार पर कार्ययोजना तैयार कर उसका अनुपालन सुनिश्चित करायें जाने के निर्देश दिये गये है। उक्त Action Plan राहत की वेवसाइट www.rahat.up.nic.in पर उपलब्ध है।

3. अवगत कराना है कि Heat Wave Action Plan बनाये जाने एवं उसके क्रियान्वयन के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में एक जनहित याचिका संख्या–14834 / 2014 अक्षय मोहिले बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य योजित की गयी है। जनहित याचिका में दिनॉक 20.04.2017 को सुनवाई के समय मा0 न्यायालय के समक्ष Heat Wave Action Plan प्रस्तुत किया गया। मा0 न्यायालय द्वारा Heat Wave Action Plan का क्रियान्वयन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कराने के आदेश दिये गये है।

4. अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया Heat Wave Action Plan के अनुसार एक सप्ताह के भीतर जनपद स्तर पर कार्ययोजना तैयार कर कार्ययोजना की एक प्रति शासन को उपलब्ध कराये।

6. उक्त के अतिरिक्त लू–प्रकोप से प्रभावितों के बचाव एवं राहत के लिए जनपद, तहसील एवं ब्लाक स्तर पर सी0एच0सी0 / पी0एच0सी0 केन्द्रों पर कुलर युक्त कक्ष, तथा उसमें आवश्यक दवाऐं / उपकरण आदि है कि नही, गरीबों के तात्कालिक इलाज के लिए एम्बुलेन्स की उपलब्धता, श्रमिकों के कार्यस्थल पर आश्रय एवं पीने के पानी की उपलब्धता तथा पशुओं आदि के लिए पीने के पानी की समुचित व्यवस्था है कि नही, के संबंध में

साप्ताहिक समीक्षा (Monitoring) कर कृत कार्यवाही की रिपोर्ट राहत की ईमेल आई डी–rahat@nic.in पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

<u>संख्या एवं दिनॉक उपरोक्त</u>

प्रतिलिपि राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, पिकप भवन, गोमती नगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे कृपया प्रकरण में प्रभावी अनुश्रवण कर जनपद स्तर पर कार्ययोजना तैयार कराते हुए कार्ययोजना का अनुपालन कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

Neha
25.4.17

121 GO-R-11-2017

संख्याः 191 / 1–11–2017–2(जी) / 2017

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में

अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,
चिकित्सा एव स्वास्थ्य, सूचना एवं जनसम्पर्क, गृह, श्रम, परिवहन, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, वन, ग्राम्य विकास, नगर विकास, पशुपालन, पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 शासन।

राजस्व अनुभाग–11 लखनऊः दिनांक 27 अप्रैल, 2017

विषयः प्रदेश में लू प्रकोप (Heat Wave) पर निर्गत Action Plan के अनुसार विभागीय कार्ययोजना तैयार कर उसके क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राजस्व अनुभाग–11 केपत्र संख्या–215 / 1–11–2017– 2(जी) / 2017, दिनॉक 18.04.2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. राजस्व विभाग के उपर्युक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा लू प्रकोप (Heat Wave) पर अप्रैल, 2016 को निर्गत गाइड में दिये गये दिशा–निर्देशानुसार प्रदेश सरकार द्वारा हीट वेव पर कार्य योजना (Action Plan: prevention and Management of Heat Wave in Uttar Pradesh) 2017 तैयार कर निर्गत करते हुए प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत उक्त Action Plan के आधार पर कार्ययोजना तैयार कर उसका अनुपालन सुनिश्चित करायें जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त Action Plan राहत की वेवसाइट www.rahat.up.nic.in पर उपलब्ध है।

3. प्रदेश सरकार के उक्त Heat Wave Action Plan में 'लू' से बचाव एवं राहत हेतु आपके विभागों के लिए कार्य एवं दायित्व निर्धारित है। उक्त निर्धारित कार्य एवं दायित्वों के क्रियान्वयन हेतु आपके विभाग द्वारा तैयार की गयी कार्ययोजना राजस्व विभाग को प्राप्त नही हुयी है।

4. अवगत कराना है कि Heat Wave Action Plan बनाये जाने एवं उसके क्रियान्वयन के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में एक जनहित याचिका संख्या–14834 / 2014 अक्षय मोहिले बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य योजित की गयी है। जनहित याचिका में दिनॉक 20.04.2017 को सुनवाई के समय मा0 न्यायालय के समक्ष Heat Wave Action Plan प्रस्तुत किया गया। मा0 न्यायालय द्वारा Heat Wave Action Plan का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के आदेश दिये गये है।

5. अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया Heat Wave Action Plan में आपके विभाग हेतु निर्धारित कार्य एवं दायित्व के क्रियान्वयन हेतु एक सप्ताह के भीतर विभागीय कार्ययोजना तैयार कर उसका अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए कार्ययोजना (Action Plan) की प्रति राजस्व विभाग को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

119 GO-R-11-2017